



संदर्भ क्र. Ref. No.: HO:IRC:SVM:2024-25: 108

दिनांक Date: 03.06.2024

Scrip Code: BANKINDIA	Scrip Code : 532149
The Vice President – Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051.	The Vice-President – Listing Department, BSE Ltd., 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

Dear Sir / Madam,

Reg: 28th Annual General Meeting – 25th June 2024

We advise that the Bank is convening 28th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of our Bank as per details given below:

1	Date / Time	Tuesday, 25 th June 2024 at 11.00 A.M.
2	Mode	Through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OVAVM)
3	Record Date	18 th June 2024 – To attend the AGM and vote through remote E-Voting / Voting at the AGM and for payment of Dividend
4	Book Closure	From 19 th June 2024 to 25 th June 2024 (both days inclusive)
5	Remote E-Voting	From 9.00 A.M. on 20 th June 2024 and end on 24 th June 2024 at 5.00 P.M.

We attach copy of the Notice of the 28th Annual General Meeting of the Bank for placing on the website of the Exchanges. The same is available on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in.

We request you to take notice under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

भवदीय Yours faithfully,



(Rajesh V Upadhyia)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 28^{वीं} (अट्टाईसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), मंगलवार, 25 जून, 2024 को प्रातः 11.00 बजे से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार:

मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2024 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता उपरोक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2.80 रुपये (28%) की दर से लाभांश घोषित करना।

विशेष कारोबार :

मद संख्या 3:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल का कार्यकाल विस्तार।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.सं.4/2(ii)/2023-बीओ.आई दिनांक 18.09.2023) के द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल का विस्तार को उनकी पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो 29.02.2024 को समाप्त हो रही है, दो साल की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है”

मद संख्या 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. कार्तिकेयन का कार्यकाल विस्तार।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th (Twenty Eighth) Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on **Tuesday, June 25, 2024 at 11.00 AM** at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio Visual Means (“OAVM”) facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare dividend for the year 2023-24 @ Rs.2.80 (28%) per equity share.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 3:

Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri P. R. Rajagopal as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/2(ii)/2023-BO.I dated 18.09.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 29.02.2024, for a period of two years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved”.

Item No. 4:

Extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.सं.4/2(iii)/2023-बीओ.आई दिनांक 18.09.2023) के द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. कार्तिकेयन के कार्यकाल विस्तार को उनकी पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो 09.03.2024 को समाप्त हो रही है, को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31.03.2025 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

मद संख्या 5:

बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में श्री अशोक नारायण की नियुक्ति। निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14.07.2023) के द्वारा 14 जुलाई 2023 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत श्री अशोक नारायण को बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

मद संख्या 6:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति। निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.4/1(vi)/2023-बीओ.आई दिनांक 09.10.2023) के द्वारा 01.03.2024 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत श्री राजीव मिश्रा को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”


मद संख्या 7:

श्री एम. आर. कुमार की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर इसे पारित करना:

“संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या.6/26(आई)/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024) के द्वारा 21 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2027 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री एमआर कुमार को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,



(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 28.05.2024

स्थान: मुंबई

Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No. 4/2(iii)/2023-BO.I dated 18.09.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 09.03.2024, till the date of his superannuation, i.e., 31.03.2025, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved”.

Item No.5 :

Appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Ashok Narain as Non-Executive Nominee Director of the Bank under Section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14.07.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 14th July 2023 to until further orders, be and is hereby approved”.

Item No.6 :

Appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No. 4/1(vi)/2023-BO.I dated 09.10.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f 01.03.2024 for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved”.


Item No.7:

Appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [F.No.6/26(i)/2023-BO.I dated 21.02.2024 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21st February 2024 to 20th February 2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved”.

By order of Board of Directors,



(Rajneesh Karnatak)

Managing Director & CEO

Date: 28.05.2024

Place: Mumbai

नोटिस :-

1. बैठक की मद संख्या 3 से 7 के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 शामिल हैं, ने कंपनियों को 30 सितंबर 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। सेबी ने एमसीए द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को अपने परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के माध्यम से छूट प्रदान की है। उसी के मद्देनजर, बैंक की 28वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम स्थल माना जाएगा। बैंक ने एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए अटेंडेंट एनबलर्स हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश यहां अलग से दिए गए हैं।
3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले सदस्य), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
4. **परोक्षी की नियुक्ति:**
लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को दिनांक 18 जून 2024 तक या उसके पहले ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रीटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 to 7 of the meeting is annexed hereto.
2. Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 has permitted companies to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its circular dated 06th October 2023. In view of the same, the 28th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.
3. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairperson of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
4. **APPOINTMENT OF PROXY:**
Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.
5. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank on or before 18th June 2024 by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।
7. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसईलिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।
8. वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:
- भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास **आईएसआर-1** फॉर्म की विधिवत भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां ताल, पिन्नेकल बिज़नेस पार्क, आहुरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई -400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।
- डीमैट रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।
9. बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 19 जून, 2024 से मंगलवार, 25 जून, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।
10. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस में संलग्न नहीं है।
11. **लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:**
31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **मंगलवार, 18 जून, 2024** को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।
11. **लाभांश का भुगतान:** बैंक के निदेशक मंडल ने 10 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 2.80 (28%) लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 28वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:
- क. 18 जून, 2024 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;
6. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.
7. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 5th January 2023, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2023-24 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
8. **Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**
- For Physical Shareholders:** Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending the physical copy of duly filled in **ISR-1** Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.
- For Shareholders holding shares in Demat form:** Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.
9. Pursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Shareholders will be closed from Wednesday, June 19, 2024 till Tuesday, June 25, 2024 (both days inclusive) for AGM.
10. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.
11. **Record Date for Dividend:**
Tuesday, 18th June, 2024 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2024.
12. **Payment of Dividend:**
The Board of Directors of the Bank in their meeting held on 10th May, 2024 has recommended dividend @ Rs.2.80 (28%) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2024. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 28th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:
- a) As Beneficial Owners at the end of the business hours on 18th June, 2024 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;

- ख. रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 18 जून, 2024 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्ट्रार में शेयरधारक के रूप में दर्ज
- ग. 28वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।
- 13. लाभांश पर टीडीएस:**
- क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।
- ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर 20३ की उच्च दर पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज tds@bigshareonline.com आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।
- ग) शेयरधारकों को घोषणाएँ और दस्तावेज 18 जून, 2024 को या उससे पहले tds@bigshareonline.com में भेजे जाएँ ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर की दर पर रोक निर्धारित कर सके। 18 जून, 2024 के बाद बैंक द्वारा कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- 14. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।**
15. संयुक्त धारकों के मामले में, वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्ट्रार के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।
16. शेयरधारकों को खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए और जो एजीएम में खुद को स्पीकर के रूप में
- b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 18th June, 2024.
- c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 28th AGM.
- 13. TDS on Dividend:**
- a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- b) A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at tds@bigshareonline.com.
- c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com on or before 18th June, 2024 to enable the Bank to determine the TDS / withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after 18th June, 2024.
14. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard.
15. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
16. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM and who wants to register themselves as Speakers at the AGM are

पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 18 जून, 2024 को या उससे पहले headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से बैंक को लिखें। उक्त के संबंध में एजीएम में बैंक द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयवधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.icpf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

18. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक के आरटीए को अनिवार्य रूप से वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में बैंक/आरटीए को वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपर्युक्त सभी फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर एस 6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 में जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है -

- उन फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ लेना।

requested to write to the Bank on or before **June 18, 2024** through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

17. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website <http://www.bankofindia.co.in>.

18. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

Sl. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) and the said SEBI circular are available on our website at https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of -

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

19. ई-वोटिंग

बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकें। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपने वोट नहीं डाले हैं। बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 18 जून, 2024 को रखे गए इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

20. ई-वोटिंग निर्देश

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 20 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होकर 24 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 18 जून, 2024 को शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 जून, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में “दोचरण” शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयर धारकों की सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएस यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर “Beneficial Owner” आइकन के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें, जो IDEAS खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत ‘Access to e-Voting’ पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज

19. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 18, 2024** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

20. E-VOTING INSTRUCTIONS

THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on June 20, 2024 at 09:00 A.M. and ends on June, 24, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 18, 2024 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 18, 2024.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:


Step 1: Access to NSDL e-Voting system


A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing IDEAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDEAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company

	<p>देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।</p> <p>2. यदि यूजर धर्मिए ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, 'Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध 'Login' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूजर आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।</p> <p>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div data-bbox="327 1149 689 1363" style="text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p>  </div>
<p>सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक</p>	<p>1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएँ और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें।</p> <p>2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएँगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुड़ने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके</p>

	<p>name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <div data-bbox="1029 1114 1439 1346" style="text-align: center;"> <p>NSDL Mobile App is available on</p>  </div>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password.</p> <p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is alsolinks</p>

	<p>अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके।</p> <p>3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4) इसके अलावा, यूजर www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूजर ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।</p>
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।</p>

महत्वपूर्ण नोट : जो शेयरधारक यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूजर आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या 022 - 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित

	<p>provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>

यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर 'Shareholder/Member' खंड में जाएँ एवं "Login" आइकॉन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।
वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ अर्थात आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।
4. आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी:
क. एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	8 अक्षरों की डीपी आईडी तदपश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख. सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी उदाहरण तथा यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है।
ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	EVEN संख्या तदपश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** SJeb EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:
 - क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'initial password' को पुनः प्राप्त करना होगा। अपने 'initial password' को पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'initial password' प्रविष्ट करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।
 - ग) 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त कैसे करें?
 - (i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ़ फ़ाइल है। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते 8 अंकों की पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'User ID' और आपका 'initial password' होता है।

either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।
6. यदि आप 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक 'इनिशियल पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं तो:
- क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **“फॉर्गोट यूजर डिटेल/पासवर्ड?”** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।
- ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **“फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?”** (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)
- ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों” पर टिक करें।
8. अब, आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?

- चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों 'ईवीईएन(EVEN)' को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- उस कंपनी के 'ईवीईएन(EVEN)' का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के तहत उपलब्ध विकल्प "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमतिका चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें, संकेत दिए जाने पर "पुष्टि" करें।
- पुष्टि होने पर, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा।
- आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
- a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
- Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
- Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रीटिनाइज़र पर ईमेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से तथा evoting@nsdl.co.in को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपना बोर्ड संकल्प/ मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि उनके लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत दर्शाए गए "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
- दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।
- कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to [at evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं,:

- भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या <http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.co.in पर अथवा <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1(ए) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें अर्थात् डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लां गड़न प्रक्रिया
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
- Alternatively shareholder/ may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.**

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
4. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विपरीत "Join Meeting" मेनू के तहत रखे गए "VC/OAVM" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल का विस्तार।

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पीआर राजगोपाल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under "**Join meeting**" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से बैंक के बोर्ड पर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पीआर राजगोपाल के कार्यकाल के विस्तार को उनके पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो दिनांक 29.02.2024 को समाप्त हो रही है, से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया है।

श्री पी आर राजगोपाल का संक्षिप्त विवरण:

नाम	श्री पी आर राजगोपाल
उम्र	57 वर्ष
शैक्षिक योग्यता	बी.कॉम, एलएलबी
नियुक्ति की तिथि	18.03.2020
संक्षिप्त विवरण	उन्होंने 1995 में एक अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर शुरू किया और 2000 में वरिष्ठ प्रबंधक बने। भारतीय बैंक संघ के कानूनी सलाहकार रहे और बैंक ऑफ इंडिया में प्रत्यावर्तन तक 2004 तक आईबीए के साथ रहे। वह 2004 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया और वर्ष 2016 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर उन्होंने दिनांक 01.03.2019 को इलाहाबाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 18 मार्च, 2020 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।
मौजूदा निदेशकों के साथ संबंध	कोई नहीं

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री पी आर राजगोपाल या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कामों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त समाधान में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक।

मद सं. 4

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम कार्तिकेयन का कार्यकाल विस्तार।

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम कार्तिकेयन के कार्यकाल विस्तार के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 18.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से श्री एम. कार्तिकेयन की बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी 09.03.2024 को समाप्त होने वाली पूर्व अधिसूचित अवधि से आगे बढ़ाकर उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात् 31.03.2025 या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किया है।

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification dated 18.09.2023, has extended the term of Shri P R Rajagopal as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his previously notified term which expires on 29.02.2024, for a period of two years, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri P R Rajagopal:

Name	Shri P R Rajagopal
Age	57 years
Educational Qualification	B.Com, LLB
Date of Appointment	18.03.2020
Brief Profile	He started his career in Bank of India as an officer in 1995 and became Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks' Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the year 2016. On elevation to the position of Executive Director, he joined Allahabad Bank on 01.03.2019. He has taken charge as Executive Director, Bank of India on March 18, 2020.
Relationship with existing Directors	Nil

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri P R Rajagopal** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 4:

Extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for extension of term of Shri M Karthikeyan as Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification dated 18.09.2023, has extended the term of Shri M Karthikeyan as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his previously notified term which expires on 09.03.2024, till the date of his superannuation, i.e., 31.03.2025, or until further orders, whichever is earlier.

श्री एम. कार्तिकेयन का संक्षिप्त परिचय

नाम	श्री एम. कार्तिकेयन
आयु	59 वर्ष
शैक्षिक योग्यता	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी, जीयूआई ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा, प्रबंधन में डिप्लोमा
नियुक्ति की तारीख	10.03.2021
संक्षिप्त परिचय	<p>वह इंडियन बैंक में महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट विकास अधिकारी) थे। इंडियन बैंक के साथ 32 वर्षों से अधिक की पेशेवर यात्रा में उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय और फील्ड स्तर की बैंकिंग का गहन अनुभव प्राप्त किया है। वह धर्मपुरी, पुणे और चेन्नई उत्तर अंचल के आंचलिक प्रबंधक थे। वह फील्ड महाप्रबंधक दिल्ली रहे, जहां से 8 अंचलों को नियंत्रित किया। उन्होंने प्रधान कार्यालय में सफलतापूर्वक वसूली और विधि विभाग के प्रमुख का दायित्व निभाया।</p> <p>वह तमिलनाडु ग्राम बैंक के बोर्ड में भी थे, जिसे दो आरआरबी नामतः इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अनुषंगी पंडियन ग्राम बैंक को इंडियन बैंक की अनुषंगी पल्लवन ग्राम बैंक के साथ मर्ज करके बनाया गया था।</p> <p>उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 10.03.2021 को पदभार संभाला था।</p> <p>दिनांक 29.12.2021 को, उन्हें बीओआई स्टार इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीओआई की अनुषंगी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।</p> <p>उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल/बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम और आईआईएम बैंगलुरु द्वारा पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए चलाए गए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।</p>
मौजूदा निदेशकों के साथ संबंध	कोई नहीं

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक के विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशक स्वरूप विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री एम. कार्तिकेयन या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर।

मद सं. 5

बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में श्री अशोक नारायण की नियुक्ति।

सेबी (एलओडीआर) विनियमवली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसारण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेरधारकों का अनुमोदन अगली आम

Brief profile of Shri M. Karthikeyan

Name	Shri M. Karthikeyan
Age	59 years
Educational Qualification	M.Sc (Agri), CAIIB, Diploma in GUI Application, Diploma in Management.
Date of Appointment	10.03.2021
Brief Profile	<p>He was General Manager (Corporate Development Officer) with Indian Bank. During his professional journey of over 32 years with Indian Bank, he has extensive exposure of Corporate office and field level banking. He was Zonal Manager of Dharmapuri, Pune and Chennai North Zone. He was Field General Manager Delhi controlling 8 zones. He has successfully headed the Recovery and Legal Department at Head Office.</p> <p>He was also on the Board of Tamil Nadu Grama Bank which was formed as a merged entity of two RRBs namely Pandian Grama Bank, a subsidiary of Indian Overseas Bank with Pallavan Grama Bank, a subsidiary of Indian Bank.</p> <p>He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.</p> <p>On 29.12.2021, he has been appointed as Additional Director at BOI STAR Investment Mangers Private Limited (Subsidiary of BOI).</p> <p>He has undergone the Director Development Program conducted by Harward Business School/Bank Board Bureau and Leadership Development Program for Senior Management for PSBs conducted by IIM Bangalore.</p>
Relationship with existing Directors	Nil

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri M. Karthikeyan** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No.5 :

Appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the

बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री अशोक नारायण की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता अपेक्षित है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री अशोक नारायण को 14 जुलाई, 2023 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री अशोक नारायण का संक्षिप्त विवरण:

नाम	श्री अशोक नारायण
आयु	62 वर्ष
शैक्षिक योग्यता	एमबीए (आईआईएम कोलकाता), एमएसबीए, सीएआईआईबी
नियुक्ति की तारीख	14.07.2023
संक्षिप्त परिचय	श्री अशोक नारायण भारतीय रिज़र्व बैंक में 33 वर्ष के सेवाकाल जिसमें से 18 वर्ष पर्यवेक्षी विनियामकीय डोमेन में कार्य करने के पश्चात् पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के पद से 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने सैकड़ों बार बैंकों की ऑन-साइट जांच का नेतृत्व किया है और वाणिज्यिक बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के ऑफ साइट पर्यवेक्षण को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने आरबीआई के उद्यमवार जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित करने का दायित्व निभाया था और सेंट्रल बैंक श्रीलंका के लिए ईआरएम संरचना के विकास में मार्गदर्शन किया था। आरबीआई द्वारा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्य-दलों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड में एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य-दल (आईओआरडबल्यूजी) 2014-16, वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा (2017 और 2018) की टास्क फोर्स जी20-ओईसीडी में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया और 2019-22 के दौरान वित्तीय स्थिरता बोर्ड बेसल के गैर-बैंकिंग निगरानी विशेषज्ञ दल की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की टीम (क्रेडिट संस्थानों हेतु) का सह-नेतृत्व किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उन्हें 2022 से वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में पैनलबद्ध किया गया है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक के विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशक स्वरूप विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री अशोक नारायण या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है।

Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Ashok Narain.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Ashok Narain as Non-Executive Nominee Director on the Board of the Bank, w.e.f from July 14, 2023, until further orders.

Brief profile of Shri Ashok Narain

Name	Shri Ashok Narain
Age	62 years
Educational Qualification	MBA (IIM Kolkata), MSBA, CAIIB.
Date of Appointment	14.07.2023
Brief Profile	Shri Ashok Narain retired as Chief General Manager, Department of Supervision, Reserve Bank of India in 2022 after 33 years of service including about 18 years in supervisory regulatory domain. He led several on-site examination of banks and also shaped the development of off-site supervision of commercial banks and urban cooperative banks. He was entrusted to implement Enterprise wise Risk Management for the RBI and he also guided the development of ERM architecture for the Central Bank Sri Lanka. He was nominated by RBI in various national and international working groups, as well as a member in the board of private sector commercial bank. He represented the RBI as a member of international Operational Risk Working Group (IORWG) 2014-16 the G20-OECD Task Force on Financial Consumer Protection (2017 and 2018) and as co-lead of Non-Banking Financial Institutions team (for credit institutions) of the Non-Banking Monitoring Expert Group of Financial Stability Board Basel during 2019-22. He is empanelled by the International Monetary Fund as a Financial Sector Specialist since 2022.

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri Ashok Narain** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

मद सं. 6:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यक होती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री राजीव मिश्रा को 01 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2027 तक या आगे आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री राजीव मिश्रा का संक्षिप्त परिचय:

नाम	श्री राजीव मिश्रा
उम्र	52 साल
शैक्षणिक योग्यता	बी.ई., एम.बी.ए., सीएआईआईबी, भारतीय बीमा संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोशिएट
नियुक्ति की तिथि	01.03.2024
संक्षिप्त परिचय	<p>श्री राजीव मिश्रा ने 01 मार्च, 2024 को बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह बीबीबी और आईआईएम-बैंगलोर के साथ वरिष्ठ पीएसबी प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का हिस्सा थे।</p> <p>श्री मिश्रा के पास डिजिटल, एनालिटिक्स और आईटी, रिटेल और एमएसएमई क्रेडिट और रिकवरी में 24 साल का गहरा और विविध अनुभव है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए डिजिटल यात्रा परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें उनके प्रमुख मोबाइल ऐप व्योम का शुभारंभ भी शामिल है।</p> <p>श्री मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों में कई नेतृत्व वाले पदों पर काम किया है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाइयों अर्थात मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और वाराणसी के आंचलिक प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में सफल कारोबारीक कार्यनिष्पादन का नेतृत्व किया। उन्होंने डिजिटल, आईटी और एनालिटिक्स, रिकवरी और देयता-क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया है। श्री मिश्रा ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी, यूपी सरकार द्वारा स्थापित यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, सिडबी एवं पीएसबी और यूपीआई सर्विसेज लिमिटेड के बोर्डों में भी काम किया है।</p>

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक का विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, सूचीबद्ध संस्थाओं बोर्डों की समितियों के निदेशकों, सदस्यता/अध्यक्षताओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

श्री राजीव मिश्रा या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है।

Item No.6 :

Appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Rajiv Mishra.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Rajiv Mishra as Executive Director on the Board of the Bank, w.e.f from March 01, 2024 to February 28, 2027, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Rajiv Mishra:

Name	Shri Rajiv Mishra
Age	52 years
Educational Qualification	B.E, M.B.A, CAIIB, Certified Associate of the Insurance Institute of India
Date of Appointment	01.03.2024
Brief Profile	<p>Shri. Rajiv Mishra joined Bank of India as an Executive Director on March 01, 2024. He was part of the Leadership Development Program for Senior PSB Management with BBB and IIM-Bangalore.</p> <p>Shri. Mishra has 24 years of deep and diverse experience across Digital, Analytics & IT, Retail and MSME Credit and Recovery. He spearheaded the digital journey transformation for Union Bank of India, including the launch of their flagship mobile app VYOM.</p> <p>Shri. Mishra has occupied multiple leadership positions across field and verticals. He led the successful business performance of Union Bank of India's largest and critical units viz., Mumbai, Lucknow, Kolkata and Varanasi as Zonal Head and Regional Head. He has also headed Digital, IT & Analytics, Recovery and Liabilities. Shri. Mishra has also served on the boards of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi, UP Industrial Consultant Ltd, established by Govt. of UP, SIDBI & PSBs and UBI Services Ltd.</p>

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri Rajiv Mishra** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

मद सं. 7:

श्री एम. आर. कुमार की बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, श्री एम.आर.कुमार की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यक होती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2024 से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर.कुमार को नियुक्त किया है।

श्री एम. आर. कुमार का संक्षिप्त परिचय:

नाम	श्री एम आर कुमार
आयु	61 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक
नियुक्ति की तिथि	01.03.2024
संक्षिप्त परिचय	<p>श्री कुमार ने मार्च 2019 से मार्च 2023 तक भारत के एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वह 1983 में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए। साढ़े तीन दशकों से अधिक के कैरियर में, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के तीन क्षेत्रों, अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, क्रमशः चेन्नई, कानपुर और दिल्ली में मुख्यालय का नेतृत्व करने का अनूठा अवसर मिला है।</p> <p>कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने कार्मिक विभाग के साथ-साथ एलआईसी के पेंशन और समूह बीमा संविभागों का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान, कर्मचारियों के लाभ के लिए कई पहल किए गए। इसके अलावा, जीवन बीमा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं जैसे प्रशासन, विपणन, समूह और सामाजिक प्रतिभूतियों में काम करने से उन्हें जीवन बीमा उद्योग में प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर समृद्ध ज्ञान और स्पष्टता के दोहरे लाभ मिले हैं।</p> <p>एलआईसी के अध्यक्ष होने के अलावा, वह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड, एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी सिगापुर पीटीई, एलआईसी लंका लिमिटेड, एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी, बहरीन, एलआईसी नेपाल लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी थे। आईडीबीआई बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, वे आईडीबीआई बैंक को घाटे में चल रही इकाई से लाभ वाली इकाई में बदलने की कार्यनीति बनाने में शामिल थे।</p> <p>उन्होंने केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और एसीसी लिमिटेड, भारत के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी पद संभाला।</p>

Item No.7:

Appointment of Shri M.R Kumar as Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri M.R. Kumar.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non- Executive Chairman on the Board of the Bank, w.e.f from February 21, 2024 for a term of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri M. R. Kumar:

Name	Shri M R Kumar
Age	61 years
Educational Qualification	Science graduate from University of Madras.
Date of Appointment	01.03.2024
Brief Profile	<p>Shri Kumar has served as Chairman, LIC of India from March 2019 to March 2023. He joined LIC of India in 1983 as a Direct Recruit Officer. In a career spanning more than three and a half decades, he has had the unique privilege of heading three Zones of LIC of India, viz. Southern Zone, North Central Zone and Northern Zone, head quartered at Chennai, Kanpur and Delhi, respectively.</p> <p>As an Executive Director, he headed the Personnel Department as well as the Pension and Group Insurance vertical of the Corporation. During his tenure, several initiatives were rolled out for the benefit of the employees. Moreover, working in different streams of life insurance management viz., administrative, marketing, group and social securities, has given him the twin advantages of enriched knowledge and clarity on processes and procedures in the life insurance industry.</p> <p>In addition to being Chairman of LIC, he was also the Non-Executive Chairman of LIC Housing Finance Ltd., LIC Pension Fund Ltd, LIC Mutual Fund AMC Ltd., LIC Cards Services Ltd., IDBI Bank, LIC Singapore Pte. Ltd., LIC Lanka Ltd., LIC (International) BSC, Bahrain, LIC Nepal. Ltd. As Non-executive Chairman of IDBI Bank, he was involved in strategizing the turnaround of IDBI Bank from a loss making entity to profitable one.</p> <p>He also held position as Director on the Board of Kenindia Assurance Co. Ltd, Kenya and ACC Ltd., India.</p>


	<p>वह राष्ट्रीय बीमा अकादमी के शासी बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय बीमा संस्थान के अध्यक्ष और बीमा लोकपाल परिषद के अध्यक्ष भी थे।</p> <p>वर्तमान में, वह अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं (01.04.2024 से प्रभावी) चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (01.05.2024 से) हैं।</p>
--	--

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक का विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, सूचीबद्ध संस्थाओं बोर्डों की समितियों के निदेशकों, सदस्यता/अध्यक्षताओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

आपके निदेशक नोटिस की मद संख्या 8 में यथा निर्धारित विशेष संकल्प पारित करने की सिफारिश करते हैं।

श्री एम.आर. कुमार या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से,



रजनीश कर्नाटक

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थान: मुंबई

तिथि: 28 मई, 2024

	<p>He was also Chairman of the Governing Board of National Insurance Academy, President of Insurance Institute of India and Chairman of Council of Insurance Ombudsman.</p> <p>Currently, he is Director on the Board of Ambuja Cements Ltd., Aurobindo Pharma Ltd. (w.e.f 01.04.2024) and Non-executive Independent Director in Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (w.e.f. 01.05.2024).</p>
--	--

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Your Directors recommend passing of the **Special Resolution** as set out in Item no.8 of the Notice.

Other than **Shri M.R. Kumar** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of Board of Directors,



(Rajneesh Karnatak)
Managing Director & CEO

Date: 28.05.2024

Place: Mumbai